प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

18. चयन प्रक्रिया :– राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरियता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 277(क) के उपनियम (I) के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद इस हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (प्राधिकृत एजेन्सी) द्वारा शॉर्ट–लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियो के प्रारम्भिक स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करवाई जावेगी तथा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की विज्ञापित रिक्त पदों के अनुसार श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।
3. दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार/पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अन्तिम रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची(Merit List) तैयार की जायेगी।

नोटः– समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जावेगी।

19. राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022 हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :–

परीक्षा की स्कीम

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण
1.	परीक्षा 300 अंकों की होगी।
2.	परीक्षा के लिए एक प्रश्न–पत्र होगा।
3.	प्रश्न–पत्र की समयावधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी।
4.	प्रश्न–पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
5.	उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है।

पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार

परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय–समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से, जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे, सूचित किया जाएगा।

परीक्षा के लिए विषय एवं अंक–भार

अध्यापक, लेवल–प्रथम (कक्षा 1 से 5 तक के लिए)

क्र.सं.	विवरण	अंक–भार
	राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा **भूगोल** • राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप • मानसून तंत्र एवं जलवायु • अपवाह तंत्र– झीलें, नदियाँ, बांध • राजस्थान की वन–संपदा	100 अंक

	• वन्य जीव–जन्तु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य • मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण • राजस्थान की प्रमुख फसलें • जनसंख्या, जनसंख्या–घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात • राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र • धात्विक एवं अधात्विक खनिज • राजस्थान के ऊर्जा संसाधनः परम्परागत एवं गैर–परम्परागत • राजस्थान के पर्यटन स्थल • राजस्थान में यातायात के साधन इतिहास एवं संस्कृति • राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँः कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। • राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। • राजस्थान की स्थापत्य कलाः किले, स्मारक इत्यादि। • राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य • राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत • राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता • राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व • राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण • राजस्थान की चित्रकलाएँ एवं हस्तशिल्प • 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन • प्रजामण्डल एवं राजस्थान का एकीकरण राजस्थानी भाषा • राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ • प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ • प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार • राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य	
	राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय राजस्थान का सामान्य ज्ञान • राजस्थान के प्रतीक चिह्न • राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ • राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र • राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी • राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि। • राजस्थान के प्रमुख उद्योग। • राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था • राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएँ।	**80 अंक**

	शैक्षिक परिदृश्य • शिक्षण अधिगम के नवाचार। • राज्य में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार। • विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम** • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 : प्रावधान एवं क्रियान्विति • राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 • राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। **सामयिक विषय** • राजस्थान की सम–सामयिक घटनाएँ। • राज्य की अभिनव विकास योजनाएँ एवं क्रियान्विति • अन्य सम–सामयिक विषय।	
	विद्यालय विषय	
	• हिन्दीः– शब्द–भेद (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया–विशेषण), संधि, समास, शब्द–रूपांतरण, शब्द–शुद्धि, मुहावरें एवं लोकोक्तियाँ।	10 अंक
	• English:- Articles, Tense, Voice, Narration, Idioms & Proverbs, Phrasal Verbs, One Word Substitution.	10 अंक
	गणितः– • पूर्ण संख्याएँ, अभाज्य और भाज्य संख्याएँ • गणितीय मूल संक्रियाएँ – जोड़, बाकी, गुणा, भाग • भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएँ • अभाज्य गुणनखण्ड, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक • प्रतिशत, लाभ–हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज • रेखा एवं कोण • समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल • ठोस आकृतियों (घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले) का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन	10 अंक
	सामान्य विज्ञानः– • अम्ल, क्षारक और लवण • तत्व, यौगिक एवं मिश्रण • भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन • गति • बल तथा गति के नियम	10 अंक

	• प्रकाश • कोशिका: संरचना एवं प्रकार्य • जीवों में श्वसन एवं परिवहन • जन्तुओं में जनन	
	सामाजिक अध्ययन:– • राजस्थान : एक परिचय • मुगल साम्राज्य • राजस्थान की अर्थव्यवस्था • पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप • भारत : प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव व वन्य जीव संरक्षण • राजस्थान में कृषि • भारतीय संविधान • राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान • राजस्थान में लोक प्रशासन	**10 अंक**
4.	शैक्षणिक रीति विज्ञान:– (अ) हिन्दी:– • हिन्दी भाषा की शिक्षण विधियाँ • भाषायी कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना) एवं भाषायी कौशलों का विकास • हिन्दी भाषा शिक्षण के उपागम • हिन्दी शिक्षण में चुनौतियाँ • हिन्दी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग • हिन्दी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	**08 अंक**
	(ब) English:- • Principles of teaching English • Communicative English Language teaching • Method s of Teaching English • Difficulties in learning English(Role of home language multilingualism) • Methods of evaluation, Remedial Teaching	**08 अंक**
	(स) गणित:– • गणित विषय की शिक्षण विधियाँ • गणित शिक्षण के उपागम • गणित शिक्षण में चुनौतियाँ • गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग • गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	**08 अंक**

	(द) सामान्य विज्ञानः— • विज्ञान की शिक्षण विधियाँ • विज्ञान शिक्षण के उपागम • विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग • विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	08 अंक
	(य) सामाजिक अध्ययनः— • सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति • सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री • सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएँ • प्रायोजना कार्य • सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	08 अंक
5.	शैक्षणिक मनोविज्ञान :— • शैक्षिक मनोविज्ञान : अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य • बाल विकास : अर्थ, बाल विकास के सिद्धान्त एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक • बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव • व्यक्तित्व : संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन • बुद्धि : संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धान्त एवं मापन • अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक • अधिगम के विभिन्न सिद्धान्त • अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ • विविध अधिगमकर्ता के प्रकार : पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। • अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ • अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव • समायोजन की संकल्पना, तरीकें एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका	20 अंक
6.	सूचना तकनीकीः— • सूचना प्रौद्योगिकी के आधार • सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (टूल्स) • सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग • सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव	10 अंक

20. **बोर्ड की वेबसाइटः—**अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141—2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र॰ व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर—302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष